

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21घ

[नियम 64 देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

(075) वैर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री भजनलाल जाटव, गाँव - झालाटाला, पोस्ट - मोलोनी, तहसील-वैर, जिला भरतपुर, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में श्री बहादुर सिंह कोली के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : भरतपुर

दिनांक: 16.09.2014

(पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत)

रिटर्निंग ऑफिसर

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
(075) वैर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

Conduct of Election Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM -21 D

(See rule 64)

(for use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the people Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of the Rajasthan (state) from (075) WEIR (S.C.) Assembly Constituency.


Sh. BHAJANLAL JATAV (Name)

Vill.-Jhalatala, Post-Molony, Teh.-Weir, Distt.-Bharatpur (Address)

Sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in the house by the resignation of Sh. Bahadur Singh Koli having been declared vacant.

Place: Bharatpur

Date: 16.09.2014


(Pushpendra Singh Sekhawat)
Returning Officer
(Sub Divisional officer and Sub Divisional Magistrate)
(075) Weir (S.C.) Assembly Constituency